**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12481/2026
CNR: RJHC020763412026 | URN: CRLMB / 23034U / 2026

Vakil @ Vakil Singariya S/o Yakub, Aged About 42 Years, R/o Singar, Police Station Bichore, Haryana, Presently Residing Khadiya Bas Papda, Police Station Gopalgarh District Deeg (Raj.) (At Present Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Sanjay Khan |
| For Respondent(s) | : | Ms. Manju Dave, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**10/09/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **गोपालगढ़ जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **198/2024** अपराध अंतर्गत धारा 3, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है, अभियुक्त को मौके पर नहीं पकड़ा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। प्रार्थी दिनांक 23.07.2026 से अभिरक्षा में है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्तगण हनीफ एवं आशु को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि उक्त सहअभियुक्तगण के विरूद्ध भी पूर्व का एक–एक आपराधिक प्रकरण दर्ज था। प्रार्थी से अब कोई अनुसंधान नहीं किया जाना है। अनुसंधान पूर्ण होने एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि केस

डायरी में केवल 'कैटल' के अवशेष होना दर्शित है तथा जो अवशेष पाए गए हैं, वह गाय के हों, ऐसा केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अपराध के अभियोग हैं। प्रार्थी/अभियुक्त गौवंश को काटकर डालते हुए पुलिस द्वारा दबिश देते समय मौके से भागा है। उसे मौके पर पहचाना गया है। उसके विरूद्ध पूर्व का इसी प्रकृति का एक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। गम्भीर मुकदमा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 3, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अपराध के अभियोग हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.07.2026 से अभिरक्षा में है। मूल आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। सहअभियुक्तगण हनीफ एवं आसू जिन पर भी प्रार्थी के समान ही आक्षेप हैं एवं एक–एक आपराधिक प्रकरण पूर्व के दर्ज होना पाया गया है, को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **वकील उर्फ वकील सिंगारिया पुत्र याकूब** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र **इस शर्त पर** कि प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक**

**लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

9/AJAY KUMAR SINGHAL